

[[नेशनल ऑयल सीड्स एण्ड वैजिटेबल ऑयल्स डेवलपमेंट बोर्ड नियम, 1984 के नियम 4 के उप नियम (1) के खण्ड (1) के साथ पठित नेशनल ऑयल सीड्स एण्ड वैजिटेबल ऑयल्स डेवलपमेंट बोर्ड के एक्ट, 1983 (1983 का 29) की धारा 4 की उप धारा (4) के खण्ड (ड) के अनुसरण में यह सभा ऐसी रीति से जैसा सभापति निदेश दें, सभा के सदस्यों में से एक सदस्य को [[नेशनल ऑयल सीड्स एण्ड वैजिटेबल ऑयल्स डेवलपमेंट बोर्ड का सदस्य होने के लिए निर्वाचित करने की कार्यवाही करे ।]]

प्रस्ताव पर मत लिया गया और वह स्वीकृत हुआ।

MOTION FOR ELECTION TO THE GENERAL COUNCIL OF THE INDIAN SCHOOL OF MINES, DHANBAD

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. (श्रीमती) रीता वर्मा) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव उपस्थित करती हूँ:-

[[इंडियन स्कूल आफ माइन्स, धनबाद के नियम और विनियमों के नियम 15 के खण्ड (3) के साथ पठित नियम 4 के खण्ड (ii) और (iv) अंतर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में यह सभा ऐसी रीति से, जैसा सभापति निदेश दें, सभा के सदस्यों में से एक सदस्य को जनरल काउंसिल ऑफ इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स, धनबाद का सदस्य होने के लिए निर्वाचित करने की कार्यवाही करें ।]]

प्रस्ताव पर मत लिया गया और वह स्वीकृत हुआ।

MOTION FOR ELECTION TO THE COURT OF THE ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. (श्रीमती) रीता वर्मा) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव उपस्थित करती हूँ:-

"अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1981 के अधिन बनाए गए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के परिनियमों, परिनियम 14 के खण्ड (2) के साथ पठित खण्ड मद (Xxiv) के अनुसरण में यह सभा ऐसी रीति से, जैसा सभापति निर्देश दें, सभा के सदस्यों में से एक सदस्य को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की कोर्ट का सदस्य होने के लिए निर्वाचित करने की कार्यवाही करे ।]]

प्रस्ताव पर मत लिया गया और वह स्वीकृत हुआ।

MOTION FOR ELECTION TO THE COUNCIL OF THE INDIAN INSTITUTE OF SCIENCE, BANGALORE

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. (श्रीमती) रीता वर्मा) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव उपस्थित करती हूँ:-

[[इंस्टीट्यूट के विनियमों के विनियम 3.1 के साथ पठित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, बंगलौर की संपत्तियों और निधियों के प्रशासन और प्रबंधन के लिए योजना के खण्ड 9.1 के उप खण्ड (ड़) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में यह सभा ऐसी रीति से जैसा सभापति निदेश दें, सभा के सदस्यों में से एक सदस्य को चतुर्वार्षिक 2002-2005 के लिए कौंसिल ऑफ दी इंडियन इंस्टीट्यूट आफ साइंस, बंगलौर का सदस्य होने के लिए निर्वाचित करने की कार्यवाही करें।]]

प्रस्ताव पर मत लिया गया और वह स्वीकृत हुआ ।

STATEMENTS REGARDING ORDINANCES

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. (श्रमती) रीता वर्मा) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं उन परिस्थितियों को स्पष्ट करते हुए एक विवरण (अंग्रेजी तथा हिन्दी में) सभा पटल पर रखती हूँ जिसके कारण प्रौद्योगिकी संस्थान (संशोधन) दूसरा अध्यादेश, 2001 द्वारा तत्काल विधान बनाने की आवश्यकता हुई ।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI OMAR ABDULLAH): Sir, on behalf of Shri Jaswant Singh, I lay on the Table a Statement (in English and Hindi) explaining the circumstances which had necessitated immediate legislation by the Passports (Amendment) Second Ordinance, 2001.

GOVERNMENT BILLS

THE PASSPORTS (AMENDMENT) BILL, 2001

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI OMAR ABDULLAH): Sir, I beg to move for leave to withdraw the Passports (Amendment) Bill, 2001.

प्रस्ताव पर मत लिया गया और वह स्वीकृत हुआ ।

SHRI OMAR ABDULLAH: Sir, I withdraw the Bill.

THE PASSPORTS (AMENDMENT) BILL, 2002

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI OMAR ABDULLAH): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Passports Act, 1967.

प्रस्ताव पर मत लिया गया और वह स्वीकृत हुआ ।

SHRI OMAR ABDULLAH: Sir, I introduce the Bill.